

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4109/2015

राजस्थान राज्य, तहसीलदार, मांगरोल, जिला कोटा के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री देव लाल पुत्र रघुनाथ (मृतक) एलआर के माध्यम से:-
 - 1/1 हरिनारायण पुत्र देवलाल, निवासी ग्राम ठीकरीटी, तहसील अन्ता, जिला बारा.
 - 1/2 शंकर लाल पुत्र देव लाल, 2-बीए-7, दादाबाड़ी विस्तार योजना, कोटा।
 - 1/3 सहदेव पुत्र देव लाल (मृतक) एलआर के माध्यम से:-
 - 1/3/1 सहदेव की विधवा कृष्णा बाई
 - 1/3/2 कन्हैया लाल पुत्र सहदेव
 - 1/3/3 चंद्रप्रकाश पुत्र सहदेव
 - सभी निवासी ठिकरिया, तहसील अन्ता, जिला बारां
 - 1/3/4 मंजू बाई पुत्री सहदेव पत्नी रमेश हलवाई, सहायक रसोइया, अनुपम भोजनालय, धर्मशाला, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर।
 - 1/3/5 इंद्रा बाई पुत्री सहदेव, पत्नी मनोहर लाल माध्यम से श्याम चुस्कीवाला, कुम्हार मोहल्ला, जिला गुना। गुना (म.प्र.)
 - 1/4 श्रीमती. सरजू बाई पुत्री देव लाल पत्नी मथुरा लाल, निवासी जगदीश होटल के पास, लाडपुरा, जिला कोटा
2. रघुनाथ के पुत्र दशरथ राम
3. श्री पारस राम पुत्र रघुनाथ सभी निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री नीरज बत्रा, जीसी
श्री टेक चंद शर्मा
श्री रवीन्द्र पाल सिंह
सुश्री गुंजन चावला

उत्तरदाता(ओं) के लिए :

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

19/10/2024

1. यह याचिका राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित क्रमश दिनांक 03.04.2008 और 10.01.1992 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि संवत् 2015-24 की जमाबंदी के अनुसार, ठीकरिया गाँव के खाता संख्या 29 में देव लाल, दशरथ राम और परसू राम के पास 294 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी। कृषि जोत हदबंदी अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत सीलिंग की कार्यवाही में गणना के बाद पाया गया कि कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी और 14.01.1976 के आदेश द्वारा सीलिंग की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। 25.10.1980 के आदेश द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया और प्रावधानों पर उचित विचार न करने के कारण सीलिंग की कार्यवाही पुन खोली गई। अतिरिक्त कलेक्टर, बारां ने 19.11.1985 के आदेश द्वारा आदेश दिया कि देव लाल के अलावा, दशरथ राम और परसू राम के पास भी अतिरिक्त भूमि थी और यह राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने योग्य थी।
 - 2.1 प्रतिवादियों ने अपील दायर की और बोर्ड ने दिनांक 03.11.1987 के आदेश द्वारा मामले को अपर कलेक्टर के पास इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि पहले से अधिग्रहित भूमि प्रतिवादी देव लाल की भूमि से हटा दी जाए और जाँच के बाद ही अतिरिक्त भूमि पर पुन कब्जा लिया जाए। प्रतिवेदन के अनुपालन में, अपर कलेक्टर ने दिनांक 10.01.1992 के आदेश द्वारा यह निर्णय दिया कि अधिकतम सीमा से अधिक कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है और कार्यवाही समाप्त कर दी। राज्य बोर्ड के समक्ष अपील में असफल रहा और इसलिए, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई।
3. 30.05.2024 को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका दायर करने में देरी और अनियमितताओं के मुद्दे पर न्यायालय को संबोधित करने के लिए समय माँगा। तत्पश्चात, 10.09.2024 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और 16.10.2024 को पुन स्थगन की मांग की गई।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि प्राधिकारियों द्वारा भूमि की गणना सही ढंग से नहीं की गई। प्रतिवादीगण केवल तीस एकड़ भूमि के ही हकदार थे और 18.33 एकड़ अतिरिक्त भूमि है।
5. प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी और वर्ष 1976 में सीलिंग की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। 1980 में मामले को पुन खोला गया और बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ पुन विचारण किया गया कि पहले से ही पुन प्राप्त भूमि को प्रतिवादी के स्वामित्व से हटा दिया जाए और उचित जाँच के बाद अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाए। कलेक्टर ने दिनांक 10.01.1992 के आदेश के माध्यम

से उसी निष्कर्ष पर पहुँचा, जिस पर दिनांक 14.02.1976 के आदेश के माध्यम से पहुँचा था कि कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी और बोर्ड ने 03.04.2008 को आदेश को बरकरार रखा।

6. यद्यपि रिट याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, फिर भी विलंब और विलंब का सिद्धांत लागू होता है। याचिकाकर्ता द्वारा बोर्ड के आदेश को सात वर्षों तक चुनौती न देने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। रिट याचिका विलंब और विलंब के सिद्धांतों से प्रभावित है।

7. विचारणीय एक अन्य पहलू यह है कि भूमि की दो बार मापी गई और निष्कर्ष एक ही निकला, फिर भी रिट याचिका में यह तथ्यात्मक मुद्दा उठाया जा रहा है कि माप उचित नहीं था।

8. रिट क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश शिंगन), जे

रिया/1

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate